

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक

फरवरी, 2014

संख्या-1/एल1-10-04/2012 गृ0आ0 / श्रीमती शोभा ओहतकर, भा0पु0से0 (1990) पुलिस महानिरीक्षक (निगरानी), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना को विभागीय अधिसूचना सं0 6873, दिनांक 29.08.2012 द्वारा पूर्व में स्वीकृत शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) को संशोधित करते हुए कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 13018/2/2008-Estt. (L), दिनांक 11.09.2008 के आलोक में दिनांक 19.09.2012 से 18.06.2014 तक कुल 21 (एक्कीस) माह की शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) की स्वीकृति दी जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-04/2012 गृ0आ0

/पटना,

दिनांक

फरवरी, 2014

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-04/2012 गृ0आ0

/पटना,

दिनांक

फरवरी, 2014

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई

हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-04/2012 गृ0आ0

969


/पटना,

दिनांक

7 फरवरी, 2014

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्रीमती शोभा ओहतकर, भा0पु0से0 (1990) पुलिस महानिरीक्षक (निगरानी), बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव।